रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 20, 1975/आश्विन 28, 1897
No. 430] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 1975/ASVINA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 1975

S.O. 607(E).—In exercise of the powers conferred by section 114 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gold Control (Forr s, Fees and Miscellaneous Matters) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called Gold Con rol (Forms Fees and Miscellaneous Matters) Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 1976.

2. In rule 11 of the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Rules, 1968 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) in clause (b), the letters and figures "G.S. 10" shall be omitted.

3. In rule 12 of the said rules, in sub-rule (1), in Note 3 after clause (viii), the letters and figures "G.S. 10", shall be omitted.

4. In rule 13 of the said rules,

(a) in proviso to sub-rule (1), the words "or to a certified goldsmith" shall be omitted;

(b) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(6) Separate voucher books shall be maintained in respect of receipts and issues.

(7) The voucher referred to in sub-rule (1) shall be preserved for a period of not less than 5 years immediately following the close of the year to which it relates."

5. In the Appendix to the said rules,

(a) Form G.S. 10 shall be omitted;

(b) for Forms G.S. 11 and G.S. 12, the following forms shall be substituted, namely:—

"FORM No. G.S. 11

[*See* rule 11(1)]

GOLD ACCOUNT

Account of Standard gold and old ornaments (or articles) for melting

Primary

Serial No.	Date	RECEIPTS				
		(a) Seller's (other than dealer) name and full address or (b) Dealer's name and Licence No.	(a) Purchase voucher No. or (b) Dealer's Sale Voucher No.	Weight of gold	*Purity in carats	Weight in terms of pure gold
1	2	3	4	5	6	7

ISSUE				BALANCE		REMARKS	
Goldsmith's name and certificate No. and voucher No. *or* Dealer's name and Licence No. and voucher No. *or* Artisan's name and identity card No.	Weight of gold	*Purity in carats gold	Weight in terms of pure gold	Weight of Standard gold	Other than standard gold		
					Weight of gold	Weight in terms of pure gold	
8	9	10	11	12	13	14	15

NOTE.—1. *In case of Standard Gold, the word 'standard' should be written.

2. Weight here refers to weight of gold only excluding the weight of things such as stones, gems, pearls, thread, lac and copper covered by gold sheet.

3. Against entry (a) or (b) in column 3, fill in entry (a) or (b) respectively in column 4.

4. When gold is sent for refining or is received from a refiner, the entries under issue and receipts may give particulars of refiner and accompanying Voucher.

FORM No. G.S. 12

[*See* rule 11 (1)]

ORNAMENT ACCOUNT

Account of ornaments (or articles) for sale – Purity :—

S. No.	Date	RECEIPTS				
		(a) Dealer's name and Licence No. *or* (b) Artisan's name and Identity Card No. *or* Goldsmith's name and Certificate No. *or* Dealer's name and Licence No. *or* (c) Seller's (other than dealer) name and full address.	(a) Sale voucher No. *or* (b) S.No. of correspondeng entry under Issue column of Gold Account. *or* (c) purchase voucher No.	Number	*Gross weight of ornaments/ articles	Weight of gold excluding stones, gems and pearls
1	2	3	4	5	6	7

ISSUE					BALANCE		REMARKS	
Dealer's name and Licence No. *or* purchaser's name and full address	Sale voucher No.	Number	*Gross weight of ornaments/ articles	Weight of gold excluding stones' gems and pearls.	Number	*Gross weight of ornaments' articles	Weight of gold excluding stones, gems and pearls	
8	9	10	11	12	13	14	15	16

NOTE.—1. *Gross weight of ornament includes weight of stones, gems and pearlsbut excludes weight of thread, lac and copper covered by gold sheet.

2. Against entry (a), (b) or (c) in column (3), fill in entry, (a), (b) or (c) respectively in column 4.

3. Separate accounts shall be kept for ornaments of different purity."

[No. 75 F.No.131/17/75-GC.II]

M.G. ABROL, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1975

का० आ० 607 (अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 5) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप फीस और प्रकीर्ण विषय) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस नियम का नाम स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये 1976 की जनवरी के प्रथम दिन प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) नियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 11 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ख) में, "जी० एस० 10" अक्षरों और अंक का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 12 में, उपनियम (1) में टिप्पण 3 में, खण्ड (viii) के पश्चात् "जी० एस० 10" अक्षरों और अंक का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 13 में —

(क) उक्त-नियम (1) के परन्तुक में, "या प्रमाणित स्वर्णकार को" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) प्राप्तियों और निर्गमों की बाबत पृथक बाउचर बही रखी जाएगी ।

(7) उपनियम (1) में निर्दिष्ट बाउचर उस वर्ष, जिससे वह संबंधित है, की समाप्ति के ठीक पश्चात्वर्ती कम से कम 5 वर्ष की अवधिपर्यन्त सुरक्षित रखे जाएंगे ।"

5. उक्त नियमों के परिशिष्ट में,

(क) प्ररूप जी० एस० 10 का लोप किया जाएगा ;

(ख) प्ररूप जी० एस० 11 और जी० एस० 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप संख्या जी० एस० 11

[नियम 11(1) देखिए]

स्वर्ण खाता

गलाए जाने वाले मानक/प्राथमिक स्वर्ण और पुराने आभूषणों (या वस्तुओं) का लेखा

क्रम संख्या	तारीख	प्राप्तियां				
		(क) विक्रेता (व्यवहारी से भिन्न) नाम और पूरा पता या (ख) व्यवहारी का नाम और अनुज्ञप्ति संख्या	(क) क्रय वाउचर संख्या या (ख) व्यवहारी की विक्रय वाउचर संख्या	स्वर्ण का वजन	कैरटों में* शुद्धता का परिमाण	शुद्ध स्वर्ण के रूप में वजन
1	2	3	4	5	6	7

निर्गम			अतिशेष				
स्वर्णकार का नाम और प्रमाणपत्र संख्या और वाउचर संख्या या व्यवहारी का नाम और अनुज्ञप्ति संख्या और वाउचर संख्या या शिल्पी का नाम और अभिज्ञान पत्र संख्या	स्वर्ण का वजन	कैरटों में* शुद्धता का परिमाण	शुद्ध स्वर्ण के रूप में वजन	मानक स्वर्ण का वजन	मानक स्वर्ण से भिन्न स्वर्ण का वजन	शुद्ध स्वर्ण के रूप में वजन	टिप्पणियां
8	9	10	11	12	13	14	15

टिप्पणी.—1. *मानक स्वर्ण की दशा में, 'मानक' शब्द लिखा जाना चाहिए।

2. इस वजन से, पत्थर, जवाहरात, मोतियों, धागे, लाख और ताबां जिस पर स्वर्णपत्र चढ़ा हो, जैसी वस्तुओं के वजन को सम्मिलित न करते हुए केवल स्वर्ण का वजन अभिप्रेत है।

3. स्तंभ 3 में (क) या (ख) प्रविष्टि के सामने स्तंभ 4 में की क्रमशः प्रविष्टि (क) या (ख) भरिए।

4. जब स्वर्ण परिष्करण के लिए भेजा जाए या परिष्करणकार से प्राप्त हो तो प्राप्तियों और निर्गमों के अन्तर्गत प्रविष्टियों में परिष्करणकार और संलग्न वाउचर की विशिष्टियां दी जाएं।

प्ररूप संख्या जी० एस० 12

[नियम 11(1) देखिए]

आभूषण लेखा

विक्रय के लिए आभूषणों या वस्तुओं का लेखा शुद्धता :—

क्रम संख्या	तारीख	प्राप्तियां				
		(क) व्यवहारी का नाम या अनुज्ञप्ति संख्या (ख) शिल्पी का नाम और अभिज्ञान कार्ड संख्या या स्वर्णकार का नाम और प्रमाणपत्र संख्या, या व्यवहारी का नाम और अनुज्ञप्ति संख्या, या (ग) विक्रेता (व्यवहारी से भिन्न) का नाम और पूरा पता	(क) विक्रय वाउचर संख्या या (ख) स्वर्ण लेखा के निर्गम स्तंभ के अन्तर्गत संबंधित प्रविष्टि की क्रम संख्या या (ग) क्रय वाउचर संख्या	संख्या	*आभूषण/ वस्तुओं का सकल वजन	पत्थरों, जवाहरातों और मोतियों का सम्मिलित न करते हुए स्वर्ण का वजन
1	2	3	4	5	6	7

निर्गम					अतशेष			
व्यवहारी का नाम और अनुज्ञप्ति संख्या या क्रेता का नाम और पूरा पता	विक्रय वाउचर संख्या	संख्या	*आभूषणों/ वस्तुओं का सकल वजन	पत्थरों, जवाहरातों और मोतियों को सम्मिलित न करते हुए स्वर्ण का वजन	संख्या	*आभूषणों और वस्तुओं का सकल वजन	पत्थरों, जवाहरातों और मोतियों को सम्मिलित न करते हुए स्वर्ण का वजन	टिप्पणियां
8	9	10	11	12	13	14	15	16

टिप्पणी.—आभूषणों के सकल वजन में पत्थरों, जवाहरातों और मोतियों का वजन सम्मिलित है किन्तु धागा, लाख और तावां जिस पर स्वर्णपत्र चढ़ा हो, का वजन सम्मिलित नहीं है।

2—स्तंभ 3 में प्रविष्टि (क), (ख) या (ग) के सामने स्तंभ 4 में की संबंधित प्रविष्टि (क), (ख) या (ग) भरिए।

3—विभिन्न शुद्धताओं वाले आभूषणों के लिए पृथक खाते रखे जाएंगे ।

[सं० /75 एफ़० स० 131/17/75—जी० सी० II]

एम० जी० अबरोल, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975